कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बगहा–1

पत्रांक 1254 दिनांक 18/06/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बगहा–1

सेवा में,

संवेदक,
राजेश कुमार
(निबंधन संख्याः– 1190542)
पता– मंझरिया शेख, प0 चम्पारण ।

विषयः– आपके द्वारा द्वारा मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य नही करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा शीर्ष GTSNY अन्तर्गत पथ का नाम **शिवशंकर गीरी के घर से पटेहरवा चौक** का एकरारनामा संख्या 15SBD/2017-18 एकरारनामा की कंडीका 32.1 एवं 32.2 के अनुसार आपके पथ का मरम्मति कार्य समाप्ति के उपरांत पाँच वर्षो तक किया जाना है।

स्थल निरीक्षण में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त पथ का प्रथम वर्ष एवं दूसरे वर्ष का अनुरक्षण कार्य नही किया गया है।

बिहार ठीकेदारी निवंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 से संबंधित अधिसूचना संख्या 8123 दिनांक 19.12.2007 के कंडिका 11 'क' के (vi) एवं ख के (ii) के अनुसार एकरारनामा में विहित विनिर्देशके अनुसार कार्य निष्पादन में चूक की स्थिति में संवेदक के काली सूची में डाला जा सकता है।

अतः आपको अंतिम रूप से स्मारित किया जाता है कि 03 (तीन) दिनों के अंदर मरम्मति कार्य पूर्ण कर उसके साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें अन्यथा आपके एकरारनामा को विखंडित करते हुए निबंधन को काली सूची में दर्ज करने हेतु अनुशंस्ति कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

18/06/202

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बगहा–1